<u>न्यायालयः न्यायिक मजिस्ट्रेट, कालपी, जनपद जालौन।</u>

मुकदमा सं0—497/2017

सरकार बनाम प्रधान सिंह यादव

मु0अ0सं0—89/2016

धारा—323,504,506,353 भा0द0सं0

थाना कालपी, जिला जालौन।

<u>आरोप</u>

मैं, दानवीर सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, कालपी आप अभियुक्त **प्रधान सिंह यादव** को एतद्द्वारा निम्न आरोपों से आरोपित करता हूं:—

1— यह कि दिनांक 09.05.2017 समय 8:30 बजे सुबह, स्थान मुहल्ला दमदमा, थाना कालपी, जिला जालौन में आपने वादी मुकदमा के साथ मारपीट कर साधारण उपहति कारित की। इस प्रकार आपने भा0द0सं0 की धारा—323 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2— यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा के साथ गाली—गलौज की, जिससे कि वह उत्तेजित होकर लोकशांति भंग करने पर अमादा हो जाए। इस प्रकार आपने भा0द0सं0 की धारा—504 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3— यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा को जान से मारने की धमकी दी। इस प्रकार आपने भा0द0सं0 की धारा—506 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4— यह कि उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा लिपिक रमेश कुमार यादव को जो लोक सेवक था और इस नाते आपने कर्तब्य का निष्पादन कर रहा था, उसे उसके कर्तब्य के निर्वहन से निवारित करने/भयोपरत करने के आशय से आपराधिक बल का प्रयोग किया। इस प्रकार आपने भा0द0सं0 की धारा—353 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद् द्वारा मैं आपको निर्देश देता हूँ कि उक्त आरोपों में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः02.03.2021

(दानवीर सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, कालपी,
जनपद जालौन।

अभियुक्त को आरोपों को पढ़ कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इंकार किया व विचारण की मांग की।

दिनांकः02.03.2021

(दानवीर सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, कालपी,
जनपद जालौन।